



106

राजमन सिंह तनय गया प्रसाद सिंह लोधी निवासी नागौद, तह

नागौद जिला सतना म०प्र० ----- अपी०

बनाम

म०प्र० शासन द्वारा उपर्योग सतना म०प्र०--- रेस्पा०

अपील विरुद्ध आदेश श्रीमान् अपर आमुक्त

महोदय रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्र०

213 अपील 05-06 आदेश दिनांक

7-11-06 के विरुद्ध

अपील अन्तर्गत धारा 47एः4: इडियन स्टाम्प

स्टॅट विकल्प मेनिगरानी

मान्यवर, प्रकरण का संदिग्ध तथ्य इस प्रकार है कि विवादित प्लाट को जो कोलगवा मोहल्ले में पिछडे बगाँ के बीच विवादित प्लाट को जो कोलगवा मोहल्ले में पिछडे बगाँ के बीच स्थित है, जिसकी कीमत 50,000 रुपया से अधिक की नहीं है, तथा स्थान करों महोदय द्वारा उक्ते विवादित भूमि को व्यवसायिक भूमि मानते हुये वाजार मूल्य 2226000 रुपया माना है, जिसके पंजीयन मानते हुये वाजार मूल्य 2227 रुपया माना है, तथा पंजीयन शुल्क 1384 रुपया माना है, जिससे परिवेदित होकर अपील द्वारा अधीनस्थ न्यायालय केसमादा प्रथम गलत तरीके से विचारण कर अधीनस्थ न्यायालय यानी स्टाम्प करों 2227 रुपये के निधारण को उही मान कर पंजीयन मूल्य 2227 रुपया पंजीयन मुद्रांक जमा करने का आदेश दिया व पंजीयन शुल्क 1384 रुपया को

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

स्थान दिनांक	प्रकरण क्रमांक तथा	प्रकरण क्रमांक अपील 213-तीन/07 कार्यवाही तथा आदेश	जिला -सतना	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
२१.६.१६		<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री डी० एस० चौहान उपस्थित उनके द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक २१३/अपील/०५-०६ में पारित आदेश दिनांक ७.११.०६ भारतीय स्टाम्प एकट ४७ए(४) के अन्तर्गत यह अपील प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने आराजी को क्य कर दस्तावेज पंजीयन हेतु उप पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत किया। जहां पर दस्तावेज पंजीयन पश्चात मूल्य निर्धारण हेतु स्टाम्प कलेक्टर को प्रेषित किया गया। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने व्यावसायिक भूखण्ड मानते हुये बाजार मूल्य रूपये २,२२,६६०/- निर्धारित किया तथा कमी मुदांक शुल्क रूपये २२२२७/- एवं पंजीयन शुल्क रूपये १३८४/- जमा किये जाने का आदेश पारित किया। इससे परिवेदित होकर अपीलार्थी ने अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा आदेश दिनांक ७.११.०६ से निरस्त की गई, इसी से व्यथित</p>		

112// अपील 213-तीन/07

होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3- अपीलार्थी के अधिवक्ता का कहना है कि क्य की गई भूमि सतना के ग्राम कोलगवा में कवाड़ी मोहल्ले में पिछडे वर्ग के आवासीय मकानों के बीच अविकसित क्षेत्र में है, केय की गई भूमि का क्षेत्र फल 296 वर्गफीट में बिना किसी खास निर्माण के बाउन्ड्रीवाल से धिरा हुआ है, जिसकी वास्तविक कीमत 50,000/-रुपये अदा करने का ही उचित रुप लगाया गया था कोई रुप बचाने की नियत नहीं थी। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा आगे अपनी बहस में कहा गया है कि अपीलार्थी की पत्नी द्वारा इसके बगल में एक प्लाट अपने नाम से अलग से स्त्रीधन से खरीदा गया है, जो रजिस्ट्रीयां पति पत्नी द्वारा अपने-अपने धन से अपने अपने स्वत्व मर्कें खरीदने में रुप डियूटी बचाने की नियत का जो आरोप लगाया गया है वह उचित नहीं हैं। उन्होंने अपनी बहस में यह तर्क भी दिया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने यह भी गौर नहीं किया है कि स्थल पर कच्चे घर का हिस्सा था पूरे घर का 162/- रुपये मात्र हाउस टैक्स नगर निगम लेती थी जिसका मात्र अंश भाग मात्र था, इस प्रकार उनके

मेरा
—

द्वारा नियम ५ व ६ के अनुसार कोई जांच किये बगैर बिना किसी विपरीत आशकीय साक्ष्य के सिर्फ स्थल निरीक्षण के आधार मान कर बिना अपीलार्थी को बिना साक्ष्य का मौका दिये बगैर मनमानी तौर से अतिरिक्त शुल्क कायमी का आदेश देने में एक महान भूल की है जो अधीनस्थ व्यायालयों के आदेशों निरस्त कर अपीलार्थी की निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

4- अनावेदक शासन के पैनल अधिवक्ता श्री बी०एन० त्यागी का मुख्य तर्क यह है कि अपीलार्थी जो जो भूमि क्य की है वह व्यवसायिक ऐरिया में आती है और जो कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा जो राशि निर्धारित की है वही विधि के अनुसर सही है। अंत में उनके द्वारा कहा गया है कि अपीलार्थी ने जो स्टाम्प शुल्क कम दिया है उसकी वसूली उनसे की जावे क्यों कि दोनों अधीनस्थ व्यायालयों के आदेश समवर्ती आदेश हैं उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है प्रस्तुत निगरानी आवेदक की निरस्त की जावे।

5- मेरे द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण किया। परीक्षण एवं अध्ययन करने पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला सतना के आदेश का अवलोकन किया



जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा स्थल निरीक्षण मौके पर स्वयं उनके द्वारा किया गया है और जो भूमि क्य की गई है वह वार्ड क्रमांक १३ पर स्थित है भवन क्रमांक ४५९ के नाम पर कुछ नहीं है। आवेदक द्वारा दो दस्तावेजों का पंजीयन कराया है जबकि दोनों इस्तावेजों में प्रभावित सम्पत्ति एक ही है। केता दोनों पति पत्नी हैं शुल्क की छति पहुंचाने के उद्देश्य से दो दस्तावेज निष्पादित कराये गये हैं। वादग्रस्त भूमि मैन रोड के किनारे एवं व्यवसायिक क्षेत्र में स्थित है। भवन के नाम केवल भूमि है चारों तरफ इंट की दीवार खड़ी है। भूमि की काफी उपयोगिता है क्यों भूमि के चारों ओर दुकानें बनी हुई हैं।

6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर इससे यह स्पष्ट होता है कि सतना के कबाझीटोला के व्यवसायिक मार्ग में स्थित है। इससे स्पष्ट है कि उक्त भूखण्ड व्यवसायिक उद्देश्य से ही क्य किया गया है। इसमें अपर आयुक्त रीवा के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आ० दि० ७.१.१.०६ स्थिर रखा जाता है।

ज्ञान
सदस्य